<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>
<u>10.01.2026</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स एडीइएल लैंडमार्क्स लिमिटेड (पूर्व में मेसर्स एरा लैंडमार्क्स लिमिटेड) और इसके प्रमोटरों, अर्थात हेम सिंह भराना और सुमित भराना से जुड़े धन शोधन मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 09.01.2026 को एक अस्थायी कुर्की आदेश जारी किया है, जिसमें लगभग 585.46 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है। अस्थायी रूप से कुर्क की गई संपत्तियों में हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और बहादुरगढ़ के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के मेरठ और गाजियाबाद में स्थित लगभग 340 एकड़ भूमि के विभिन्न भूखंड और पार्सल शामिल हैं। ये संपत्तियां मेसर्स एडील लैंडमार्क्स लिमिटेड और इसकी संबद्ध/सहायक कंपनियों के स्वामित्व में हैं।

ईडी ने हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस और आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), दिल्ली द्वारा दर्ज की गई 74 एफआईआर/चार्जशीट के आधार पर जांच शुरू की। एफआईआर में लगाए गए आरोपों के अनुसार, मेसर्स एडीइएल लैंडमार्क्स लिमिटेड, इसके प्रमोटरों और सहयोगी कंपनियों ने कई घर खरीदारों को 12 से 19 साल की देरी के बाद भी, तय समय सीमा के भीतर फ्लैट और यूनिट देने में विफल रहकर धोखा दिया और जालसाजी की।

ईडी की जांच में पता चला कि मेसर्स एडीइएल लैंडमार्क्स लिमिटेड ने गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल, हरियाणा में कई आवासीय समूह आवास परियोजनाएं शुरू की थीं और कॉस्मोकोर्ट, कॉस्मोसिटी-I, कॉस्मोसिटी-III, स्काईविले, रेडवुड रेजीडेंसी, एरा ग्रीन वर्ल्ड, एरा डिवाइन कोर्ट, एडील डिवाइन कोर्ट नामक आठ परियोजनाओं में 4,771 ग्राहकों से अग्रिम बुकिंग राशि के रूप में लगभग 1,075 करोड़ रुपये एकत्र किए थे। ये परियोजनाएं जो 2006-2012 में शुरू की गई थीं, आज तक अधूरी हैं। जांच में आगे पता चला कि प्रमोटरों/निदेशकों ने घर खरीदारों से बड़ी मात्रा में एकत्र किए गए धन को भूमि के टुकड़ों की खरीद और अन्य उद्देश्यों के लिए अग्रिम के रूप में समूह कंपनियों को हस्तांतरित कर दिया, बजाय इसके कि वे धन का उपयोग वादा किए गए आवास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए करें। अंततः, धन के इस हेरफेर के परिणामस्वरूप आज तक फ्लैटों और प्लॉटों की आपूर्ति नहीं हो पाई है।

इसके अलावा, जांच में यह भी पता चला कि कंपनी द्वारा आपूर्ति ना होने के कारण रिफंड मांगने पर पीड़ित ग्राहकों को चेक जारी किए गए थे, जिनमें से कई विभिन्न कारणों से अस्वीकृत हो गए। यह भी पता चला है कि मेसर्स ए.डी.ई.एल. लैंडमार्क्स लिमिटेड ने एकतरफा परियोजना योजनाओं और लाइसेंस प्राप्त भूमि क्षेत्रों में बदलाव किया, जिसमें मूल रूप से प्रस्तावित भूमि में कमी भी शामिल है, जिसके कारण खरीदारों से शुरू में किए गए बुनियादी सुविधाओं के वादों को नकार दिया गया। इसके अलावा, समूह के प्रमोटरों ने खरीदारों को सूचित किए बिना परियोजना भूमि को बैंकों के पास गिरवी रखकर परियोजना के विकास के उद्देश्य से सावधि ऋण का लाभ उठाया था।

आगे की जांच जारी है।